संख्या-10/2018/196/71-3-2018-57/2018

प्रेषक,

जयंत नार्लिकर,
विशेष सचिव
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण,
उ0प्र0, लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-3 लखनऊ : दिनॉक 06 अप्रैल, 2018

विषय:- वित्तीय वर्ष 2018-19 में अनुदान संख्या-31 के अन्तर्गत राजकीय संस्थानों हेतु प्राविधानित धनराशि की स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-एम0ई0/बजट/2018-19/03, दिनॉक 05-04-2018 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2018-19 में अनुदान संख्या-31 के अन्तर्गत राजस्व मद में राजकीय संस्थानो के वेतनादि एवं आवश्यक व्ययों को वहन किए जाने हेतु विभिन्न मानक मदों में संलग्न विवरणानुसार लेखाशीर्षक-2210-राजस्व लेखा में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष **रू0 52,83,51,000/- (रू0 बावन करोड़ तिरासी लाख इक्यावन हजार मात्र) एवं 4210-पूंजी लेखा में रू0 4,50,000/- (रू0 चार लाख पचास हजार मात्र) अर्थात़ कुल रू0 52,88,01,000/- (रू0 बावन करोड़ अटठासी लाख एक हजार मात्र)** की वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए आपके निवर्तन पर रखे जाने की राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

2- वित्त आय-व्ययक अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 30-03-2018 के प्रस्तर-2(4) (5) में उल्लिखित प्राविधानुसार विगत वर्ष की कोई अप्रयुक्त धनराशि यदि अवशेष है तो उसका पहले समायोजन करने के उपरांत ही उक्त् स्वीकृत धनराशि का उपयोग किया जायेगा।

3- स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय उन्हीं कार्यो/मदों में किया जायेगा, जिसके लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है, किन्ही अन्य कार्यो/मदों पर धनराशि का व्यय अथवा व्ययावर्तन वित्तीय अनियमितता मानी जायेगी।

4- स्वीकृत की जा रही धनराशि को अवमुक्त किये जाने के संबंध में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2018/बी-1-375/दस-2018-231/2018, दिनॉक 30-03-2018 एवं वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-24/2017/वे0आ0-2-1149/दस-04(एम)/2016, 22-12-2017 में दिए गए दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

5- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2018/बी-1-375/दस-2018-231/2018, दिनॉक 30-03-2018 में प्रशासकीय विभाग को प्रतिनिधानित अधिकारों के अन्तर्गत निर्गत किए जा रहे है।

संलग्नक-यथोक्त।

भवदीय,

(जयंत नार्लिकर)
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या:-10/2018/196(1)/71-3-2018 तद्यदिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2. महालेखाकार (लेखा परीक्षा), प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
3. वित्त नियंत्रक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ।
4. निदेशक, गणेश शंकर विद्यार्थी स्मारक मेडिकल कालेज, कानपुर में स्थापित कार्डियोलाजिकल इंस्टीटयूट कानपुर एवं जे0 के0 कैंसर संस्थान, कानपुर।
5. वित्त नियंत्रक, गणेश शंकर विद्यार्थी स्मारक मेडिकल कालेज, कानपुर में स्थापित कार्डियोलाजिकल इंस्टीटयूट कानपुर एवं जे0 के0 कैंसर संस्थान, कानपुर।
6. कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
7. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2, वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3
8. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अनिल कुमार)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।